परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या–3968एलएएस/2011–203एलएएस/1996 दिनांक 22 नवम्बर : 2011

1–प्रधान प्रबन्धक (के0का0/डा0रा0म0लो0कार्य0),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
कानपुर ।

2–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

3–समस्त सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

4–समस्त स0क्षे0प्र0 डिपो/स0क्षे0प्र0(का0),
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः–<u>निगम में नियोजित कार्मिकों के सेवा अभिलेख के सम्बन्ध में ।</u>

याचिका संख्या–17311/97 परिवहन निगम बनाम सोबरन सिंह एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–07–2011 की समीक्षा किये जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री सोबरन सिंह, चालक, बेवर डिपो, इटावा क्षेत्र की जन्मतिथि सेवा पुस्तिका में अंकित न किये जाने के कारण मा0 न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में चालक के पक्ष में निर्णय पारित किया गया, जिसके कारण निगम को अनावश्यक रूप से रू0 6,67,355/– का व्यय भार वहन करने की स्थिति उत्पन्न हुई, यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है।

एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र/डिपो में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण कर उचित रखरखाव उसके समस्त कालमों में सूचनाएं अंकित किये जाने एवं सेवा सत्यापन आदि की कार्यवाही सुनिश्चित कर तद्आशय का प्रमाण पत्र 15 दिन के अन्दर प्रधान प्रबन्धक (कार्मिक), परिवहन निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि सेवा अभिलेखों का नियमानुसार रखरखाव एवं उसमें समस्त सूचनाओं का अद्यावधिक अंकन न होने के कारण वादों में मा0 न्यायालय द्वारा निगम के विरूद्ध कोई आदेश पारित किया जाता है तो निगम को होने वाली आर्थिक क्षति की वसूली क्षेत्रीय प्रबन्धक, स0क्षे0प्र0डिपो/कार्मिक तथा क्षेत्रीय कार्यालय/डिपो/कार्मिक के संबंधित स्थापना लिपिक के वेतन से समानुपातिक रूप से कटौती की जायेगी।

(आशीष कुमार गोयल)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपिः</u>–प्रधान प्रबन्धक (कार्मिक), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि क्षेत्रो से प्राप्त अनुपालन आख्या, अपनी टिप्पणी के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 20 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा नियमित रूप से सेवा अभिलेखों के रखरखाव का अनुश्रवण करें।

(आशीष कुमार गोयल)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com